IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण में कानूनी अधिकारों की भूमिका

डॉ. श्रीमती रीता मुकर्जी
एसोसिएट प्रोफेसर एवं
विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग,
माता गुजरी महिला महाविद्यालय,
(स्वशासी) जबलपुर, (म. प्र.)

डॉ. रत्ना वर्मा
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
माता गुजरी महिला महाविद्यालय,
(स्वशासी) जबलपुर, (म. प्र.)

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय महिला नीति का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की प्रगति विकास एवं उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। वैधानिक न्याय एवं कानून व्यवस्था को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा ताकि उनके विरूद्ध हिंसा को रोका जा सके तथा वे अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार प्राप्त कर सकें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर सूक्ष्म ऋण संस्थाओं को सूक्ष्म रूण प्रदान करने हेतु चुस्त एवं दुरूस्त करना ताकि वृहद स्तर से महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कृषि के क्षेत्र में जैसे भूमि संरक्षण सामाजिक नवीनकरण दुग्ध विकास मुर्गी पालन मछली पालन इत्यादि में प्रशिक्षण तथा उसी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार समर्थनकारी सहयोग देने पर विचार कर रही है जैसे सामाजिक संरक्षण श्रमिक कानून इत्यादि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिये समानता के आधार पर समस्त महिलायें एवं बालिकाओं की पहुॅच शैक्षिक संस्थाओं तक हो यह इस और कार्य कर रहा है।

सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है। स्त्री सशक्तिकरण से हमारा अभिप्राय स्त्रियों को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से होता है। यद्यपि अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि कर्म क्षेत्र की किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरूषों से पीछे नहीं रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष खेलकूद, राजनीति, कूटनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पुरूषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर सकती है। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि लैंगिक विषमता जन्म अनुपात से लेकर हर जगह उन्हें अपना एहसास कराती है चाहे वह घर

हो या समाज, सरकारी, कार्यालय हो या निजी क्षेत्र। स्त्री सशक्तिकरण की सम्पूर्ण अवधारणा इसी परिकल्पना पर आधारित है।

संसद में महिलाओं को आरक्षण दिलवाने और लिंग आधारित व्यवस्था कर आयकर में महिलाओं को विशेष छूट दिलवाने जैसी व्यवस्थाओं के साथ–साथ इस दिशा में महिला सरोकारों को ज्यादा अच्छी तरह लाभान्वित किया जा सकेगा, यह तभी संभव है जब इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के जेण्डर संवेदनशीलता को जागृत किया जाए।

आज भारत में स्त्रियों की शिक्षा का विकास हो रहा है। अतः यह अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है कि शिक्षा से ही महिला सशक्किरण संभव है। शिक्षा की एक ऐसी कुंजी है जो महिलाओं के विकास के साथ ही देश का विकास कर सकती है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैं:–

अनुच्छेद 14 के अनुसार महिलाओं एवं पुरूषों को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार व अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद 15 के अनुसार महिलाओं को समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद तथा रोजगार का प्रावधान है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासः–

1. तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके लिये महिला कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत सन् 1976 में महिला विकास एवं कल्याण ब्यूरो की स्थापना की गयी।
2. छठवीं पंचवर्षीय योजना में महिला विकास से सम्बन्धित मुद्दा था।
3. सातवी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
4. आठवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1993 में संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा महिलाओं की ग्राम पंचायत व नगर पालिका के चुनावों में सहभागिता बढ़ाने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई।
5. नवमीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण को जोड़ा गया।

दसवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को आत्म पोषित करने का प्रयास किया गया है।

भारत में स्त्रियों की स्थिति में वर्तमान परिवर्तन अनेक दशाओं एवं संवैधानिक अधिकारों का परिणाम हैः–

1. **महिला आंदोलन** :– स्त्रियों की स्थिति में सुधार का एक प्रमुख कारण स्वयं महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न आंदोलन है। भारत में एनी बेसेण्ट के प्रयत्नों से सन् 1929 में एक 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्त्रियों को उनके सभी अधिकार दिलाना, शोषण के विरूद्ध उनकी रक्षा करना तथा स्त्री शिक्षा में वृद्धि करना था। इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपने अधिकारी

प्राप्त करने के लिए अनेक आंदोलन किये। आज भी नगरों में महिलाओं के अपने संगठन है जो नारी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इन संगठनों ने दहेज के फलस्वरूप होने वाली हत्याओं, स्त्री शोषण, बलात्कार तथा नारी अपमान के विभिन्न रूपों के विरूद्ध प्रदर्शन और हड़तालें करके पुरूषों की निरंकुशता को कम करने में बड़ा योगदान किया है। आज महिला आंदोलनों का ही परिणाम है कि स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करना अथवा किसी रूप में उनका शोषण करना पहलेकी तरह सफल नही रहा।

2. **संवैधानिक अधिकार** :– स्वतत्रंता के बाद भारतीय संविधान तथा विभिन्न कानूनों के द्वारा स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से भी उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आज कानून के द्वारा बाल–विवाह को समाप्त कर दिया गया, स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गयी, स्त्रियों को परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये तथा उन व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर स्त्रियों का उत्पीड़न करते है। स्त्रियों की दशा को सुधारने तथा एक नये सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करने में इन सभी कानूनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. **पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव :–** स्त्रियों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों का परिणाम है। पश्चिमी संस्कृति समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देती है। बाहरी जगत के सम्पर्क तथा शिक्षा के फलस्वरूप जैसे–जैसे स्त्रियों ने पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण किया, वे उन असमानताकारी व्यवस्थाओं का विरोध करने लगी जो पुरूषों को ही सभी अधिकार देने के पक्ष में थी। वर्तमान युग की नारी स्वतत्रंता आंदोलन भी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का ही परिणाम है।

दिसम्बर 1995, में राज्य सभा में 'महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण अपराध निरोधक विधेयक' प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया कि जो पुरूष महिलाओं के प्रति बर्बर और पाशविक अपराध करते हैं, उनके अपराध को गैर–जमानती घोषित करके अपराधियों पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाये।

जनवरी 1996 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो स्त्रियॉ पारिवारिक या बाहरी बलात्कार की शिकार होती हैं, उनके आत्म–सम्मान को बचाये रखने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे मामलों की सुनवाई बंद कमरे में की जाये।

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि भारत में बलात्कार, यौन शोषण व दहेज के कारण उत्पीड़न और हत्या की घटनाओं से भी अधिक मामले घरेलू हिंसा से सम्बन्धित होते है। इस समय देश में 39 कानून महिलाओं के हितों और उनकी गरिमा की रक्षा से सम्बन्धित है।

बजट 2022–23 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता हुआ है जिसमें महिला व पुरूष के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की गयी है। महिलाओं को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नवीन

सहस्त्रावदी के प्रवेश द्वार पर खड़े भारत ने नारी स्वरूप, शक्ति और महत्व की पहचान लिया है। नेपोलियन ने कहा था ''तुम मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हें एक योग्य, सुदृढ राष्ट्र दूँगा।'' अतः महिला सशक्तिकरण भारतीय बौद्धिक चेतना का नवीन आयाम है। यही कारण हो कि वर्तमान परिदृश्य में महिलाएँ अपने कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति जागरूक हों, देश के सर्वागीण विकास में कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर रही है।

महिलाओं को सबल बनाना आधुनिक युग की सशक्त मांग है। उन्हें सशक्त बनाने के लिये अनेक अधिकारों से परिचित होना आवश्यक है। यदि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होगा, उनको कौन–कौन से अधिकार प्राप्त है तब तक अन्याय, अत्याचार एवं शोषण से मुकाबला नहीं कर पायेगी।

संदर्भः–

(1) राम आहूजा : भारतीय समाज।

(2) जी.आर. मदना : भारतीय सामाजिक समस्याएँ

(3) मोतीलाल गुप्ता : भारत में समाज।

(4) व्ही.एन.सिंह : भारतीय सामाजिक चिंतन

(5) डॉ. जी.के. अग्रवाल एवं डॉ. एस.एस. पांडे : ग्रामीण समाजशास्त्र

(6) पाण्डेय, डॉ ममता, स्त्री लिंगानुपात एवं साक्षरता, समाज कल्याण, जनवरी – 1999

(7) देसाई, नीरा, भारतीय समाज में नारी, दिल्ली मेकमिलन, 1982

(8) कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवम्बर–2005, दिसम्बर–2005

(9) योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अक्टूबर–2006

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation